(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(4)/LA-08/ LJ/08/2277 Dated the March, 2008

NOTIFICATION

F.14(4)/LA-08 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt.Governor of Delhi on 28th March, 2008 and is hereby published for general information:-

THE DELHI APPROPRIATION (No.1) ACT, 2008
(Delhi Act 3 of 2008)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th March,2008)

[28th March,2008]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 2007-2008

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2008.

issue of
Rs. 758,56,98,000/-
from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2007-2008.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees seven hundred fifty eight crore fifty six lakh and ninty eight thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2007-2008 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

DVS

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See "sections" 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and Purposes		SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1		2	3	4	5
1	Legislature	Revenue	0	500	500
2	General Administration	Revenue	26974	11100	38074
3	Administration of Justice	Revenue	155064	0	155064
4	Finance	Revenue	100	200	300
		Capital	40000	0	40000
5	Home	Revenue	67700	0	67700
		Capital	15000	0	15000
6	Education	Revenue	2100	0	2100
		Capital	365300	0	365300
7	Medical and Public Health	Revenue	1900	1518	3418
		Capital	0	0	0
8	Social Welfare	Revenue	401830	203700	605530
		Capital	2621300	0	2621300
9	Industries	Revenue	57924	625	58549
		Capital	200	0	200
10	Development	Revenue	107385	0	107385
		Capital	283700	25200	308900
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2872628	26200	2898828
		Capital	295244	2306	297550
	Public Debt.	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
12	Loans to Government Servants	Capital	0	0	0
	Total		7314349	271349	7585698

DVS

(Rakesh Syal)
Joint Secretary(Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग – 4 में प्रकाशानार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

सं0फा0 14 (4)/ एल.ए. –2008/LJ/08/2277 दिनांक 28 मार्च, 2008

अधिसूचना

स0 फ0 14 (4) /एल.ए.–2007/ – उपराज्यपाल , दिल्ली की दिनांक 28 मार्च , 2008 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है ।

" दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम , 2008
(2008 का दिल्ली अधिनियम संख्या 3)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2008 को यथापारित)

[28 मार्च, 2008]

वर्ष 2007 –08 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

इसे भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये :–

संक्षिप्त शीर्षक ।

1. इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2008 कहा जाए ।

758,56,98,000/– रूप्यों का वर्ष 2007–2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए सात सौ अठावन करोड छप्पन लाख अठानवें हजार रूप्यों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 2007–2008 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

विनियोजन ।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2		3	4	5
1	विद्यान मंडल	राजस्व	0	500	500
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	26974	11100	38074
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	155064	0	155064
4	वित्त	राजस्व	100	200	300
		पूंजी	40000	0	40000
5	गृह	राजस्व	67700	0	67700
		पूंजी	15000	0	15000
6	शिक्षा	राजस्व	2100	0	2100
		पूंजी	365300	0	365300
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	1900	1518	3418
		पूंजी	0	0	0
8	समाज कल्याण	राजस्व	401830	203700	605530
		पूंजी	2621300	0	2621300
9	उद्योग	राजस्व	57924	625	58549
		पूंजी	200	0	200
10	विकास	राजस्व	107385	0	107385
		पूंजी	283700	25200	308900
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	2872628	26200	2898828
		पूंजी	295244	2306	297550
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
12	ऋण	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
	जोड़		7314349	271349	7585698

(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)